रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.S.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 1985/अग्रहायण 11, 1907
No. 60] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 1985/AGRAHAYANA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CK 27/3/86

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1985

अधिसूचना

आ. अ. 177 (अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, इसकी दिनांक 15 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 434/दिल्ली-लो. स./84 (1) में निम्नलिखित और संशोधन करने का निदेश देता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या "2-दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर" के सामने मौजूदा प्रविष्टियों

के पश्चात् "11-श्री बी. के. एस. चौहान, खण्ड विकास अधिकारी, अलीपुर, 12-श्री विजय सिंह, भूमि अधिग्रहण कलक्टर, डी. सी. कार्यालय, दिल्ली, 13-श्री आर. एल. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, दिल्ली और 14-श्री जवाहर मिश्र, उप-निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली" प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ।

[सं. 434/दिल्ली-लो. स./85(1)]

आदेश से,
टी. डी. गुप्ता, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 25th November, 1985

NOTIFICATION

O. N. 177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendments shall be made in its notification No. 434/DL-HP/84(1) dated the 15th October, 1984, namely :—

In column 2 of the table appended to the said notification against item No. "2-Returning Officer of 2-South Delhi Parliamentary Constituency" after the existing entries, the entries, "11-Shri V.K.S. Chauhan, B.D.O., Alipur, 12-Shri Vijay Singh, Land Acquisition Collector, D.C. Office, Delhi, 13-Shri R.L. Srivastava, Assistant Commissioner, Food and Civil Supplies, Delhi and 14-Shri Jawahar Mishra, Dy. Director, Directorate of Social Welfare, Delhi", shall be added.

[No. 434/DL-HP/85 (1)]

By Order,
T. D. GUPTA, Under Secy,
Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985